संदर्भ : श्री सलमान खुर्शीद, केन्द्रीय विधि एवं न्याय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

आदेश

आयोग को भारतीय जनता पार्टी से 10 जनवरी, 2012 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 10 जनवरी, 2012 के समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट छपी है कि श्री सलमान खुर्शीद, केन्द्रीय विधि मंत्री ने फर्रूखाबाद में एक निर्वाचन रैली में इस बारे में उद्घोषणा की है कि कांग्रेस अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विद्यमान 27 प्रतिशत कोटे के भीतर अल्पसंख्यकों को 9 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा और कि उन्होंने यह भी इंगित किया है कि अत्यधिक जनसंख्या में मुस्लिम इस पहल से लाभन्वित होंगे।

2. भारतीय जनता पार्टी ने यह भी उल्लेख किया कि "धर्म, जाति एवं साम्प्रदाय आधार पर यह अपील आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष एवं घोर उल्लंघन है"।

3. शिकायत पर विचार करने के बाद, निर्वाचन आयोग ने 10 जनवरी, 2012 को श्री सलमान खुर्शीद को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें उनसे इस बारे में 12 जनवरी, 2012 तक अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

4. श्री सलमान खुर्शीद ने 12 जनवरी, 2012 को और व्यापक प्रत्युत्तर दाखिल करने के अपने अधिकार को सुरक्षित करते हुए उत्तर दाखिल किया और वकील के साथ/या उसके माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई हेतु भी अनुरोध किया। श्री खुर्शीद द्वारा प्रस्तुत उत्तर में मुख्य निवेदन निम्नलिखित थे :

- धर्म, जाति या वंश के आधार पर मत प्राप्त करने के लिए कोई अपील या आशय नहीं था। प्रश्नगत कथन विद्यमान आश्वासन का भाग था कि कांग्रेस पार्टी विद्यमान सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए विधि की सीमाओं के भीतर सभी संभव कदम उठाएगी। किसी विशेष धर्म के प्रति कोई संदर्भ नहीं था। यह पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों के संबंध में था जिनमें विभिन्न धर्मों के समुदाय सम्मिलित हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16)4) में उपबंधित सकारात्मक कार्रवाइयां वास्तविक समानता के घटक हैं।
- इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों में उप कोटा को विशिष्ट रूप से अनुमोदित किया है। इसलिए, राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज में आय एवं स्थिति में असमानताओं को कम करे। परिणामस्वरूप, असमानता दूर करने के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए किसी उपाय को जाति या संप्रदाय आधार पर अपील नहीं माना जा सकता है।
- ये कथन लोक सभा निर्वाचन 2009 के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्रों में वचनबद्धता को केवल दोहराया जाना है। यह कोई नई नीति नहीं है, जिसकी उद्घोषणा की गई।
- इस कथन से आदर्श आचार संहिता के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं हुआ।

5. आयोग ने श्री सलमान खुर्शीद द्वारा दिए गए उपर्युक्त अभ्यावेदन पर विचार किया और उन्हें 20 जनवरी, 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का निर्णय लिया तथा उन्हें 19 जनवरी, 2012 तक अपना विस्तृत उत्तर दाखिल करने के लिए अनुमति दी, यदि वह ऐसा करना चाहते हैं।

6. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील आयोग के समक्ष 20 जनवरी, 2012 को श्री सलमान खुर्शीद की ओर से उपस्थित हुए और कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी में कोटा का वादा करने संबंधी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में केवल सशर्त आशय की घोषणा मात्र थीं न कि कोई नीतिगत उद्घोषणा थीं, यह कि उन्होंने किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय का संदर्भ नहीं दिया है और केवल पूर्व-घोषित सरकार की नीति को दोहराया गया है और कि वह एक कांग्रेस के सदस्य के रूप में बोल रहे थे और किसी भी स्थिति में एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में नहीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण वर्ष 2002 एवं 2007 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचनों और लोक

सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के दौरान जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्रों में सम्मिलित है। उन्होंने शीर्ष न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया और विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच असमानता दूर करने के लिए राष्ट्र द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के बारे में उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन के बारे में अपने निवेदन के संबंध में आयोग के समक्ष दस्तावेजों का एक पेपरबुक प्रस्तुत किया।

7. आयोग ने श्री सलमान खुर्शीद की ओर से उपस्थित डॉ. सिंघवी को सुनने के बाद शिकायत के बारे में किसी अंतिम निर्णय लेने से पूर्व मामले में दोनों पक्षकारों को शामिल करते हुए एक दूसरी सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया और तदनुसार, अगली सुनवाई की तारीख के रूप में **3** फरवरी, 2012 (शुक्रवार**)**, अपराह्न **4.30** बजे का समय नियत किया।

8. तारीख **3** फरवरी, 2012 को श्री रविशंकर प्रसाद, वरिष्ठ वकील और श्री रामकृष्ण, संयोजक, निर्वाचन प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी **(**यहां इसके बाद ''वादी'') वादी की ओर से उपस्थित हुए तथा डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील, श्री सलमान खुर्शीद **(**यहां इसके बाद ''प्रतिवादी'') की ओर से उपस्थित हुए।

9. डॉ. सिंघवी ने आयोग के तारीख **10.01.2012** के नोटिस के प्रत्युत्तर में अपने तारीख **12.01.2012** के पत्र में प्रतिवादी द्वारा किए गए लिखित निवेदनों और तारीख **20.01.2012** को पूर्व की सुनवाई में उनके द्वारा किए गए मौखिक निवेदनों को दोहराया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ''अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **27** प्रतिशत कोटे के भीतर **9** प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए फर्रूखाबाद में निर्वाचन रैली में प्रतिवादी द्वारा की गई घोषणा सभी अल्पसंख्यकों के लिए लागू थी और केवल विशेष धर्म को मानने वाले समुदायों के पक्ष में प्रस्ताव नहीं था और कि ऐसी घोषणा कोई नई नहीं थीं बल्कि इस मामलें में भारत सरकार की नीति की पुनरावृति थी निर्वाचन के दौरान की गई घोषणा एक सशर्त वादा था कि यदि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो वह राज्य में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें उप- कोटा प्रदान करेगी। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि धर्म के आधार पर मतदान करने की कोई अपील की गई थी। उन्होंने आगे यह कहा कि प्रतिवादियों का उत्तर पार्टी के घोषणा पत्र में दिए गए उसके दृष्टिकोण तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा **31.01.2012** को जारी विजन दस्तावेज के अनुरूप है। इसके विपरीत उन्होंने कुछ दूसरी पार्टियों के दृष्टिकोण का संदर्भ दिया जिन्होंने विशेष धर्म के लोगों के लाभ के लिए विशेष रूप से वादा किया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मुस्लिमों के लिए विशिष्ट कोटा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने और इस मुद्दे को लोक सभा निर्वाचन, 2009 के समय जारी उनके निर्वाचन घोषणा पत्र में मद के रूप में सम्मिलित किए जाने का दृष्टांत सामने रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नवीनतम घोषणा पत्र का भी संदर्भ दिया जिसमें अयोध्या में मंदिर के निर्माण का वादा किया गया है।

10. वादी की ओर से उपस्थित, श्री रविशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित निवेदन किया **:**

- कि यह निर्विवाद तथ्य है कि आदर्श आचार संहिता **24.12.2011** से लागू हो गई थी; कि श्री खुर्शीद ने फर्रुखाबाद में निर्वाचन रैली में अल्पसंख्यकों के लिए उप-कोटा के सृजन के बारे में उद्घोषणा की और कि यह उनकी पत्नी, श्रीमती लूसी खुर्शीद, जो फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़ रही थीं, के लिए मतदान करने हेतु विशेष धर्म के लिए प्रत्यक्ष प्रलोभन था।
- कि दैनिक समाचार पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस', 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और इकोनोमिक टाइम्स' में **10.01.2012** को प्रकाशित रिपोर्टों में उल्लेख किया गया कि श्री खुर्शीद ने विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए आरक्षण का वादा किया था और इन रिपोर्टों से श्री खुर्शीद द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया गया।
- कि श्री सलमान खुर्शीद के कथन को इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि वह केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं विधि मंत्री हैं।
- कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी घोषणा-पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए किसी विशेष कोटे का उल्लेख नहीं है; कि **9** प्रतिशत कोटे का उल्लेख कांग्रेस पार्टी के नवीनतम घोषणा पत्र में भी नहीं है।

- कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई शिकायत एक केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध है, न कि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध क्योंकि मंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा ने समान अवसर की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया है।

11. श्री रविशंकर प्रसाद ने आयोग का ध्यान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वर्ष **2004** के उसके पूर्व के निर्णयों की ओर आकृष्ट किया, वे हैं, हज यात्रा के लिए सब्सिडी को दोबारा शुरू करने पर प्रतिषेध और महाराष्ट्र में उस समय चल रहे निर्वाचनों के पूरा होने से पूर्व धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण।

12. आयोग ने वादी, भारतीय जनता पार्टी तथा प्रतिवादी, श्री सलमान खुर्शीद की ओर से विद्वान वकील के उपर्युक्त निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और उनका विश्लेषण किया। आयोग ने दोनों पक्षकारों द्वारा अपने-अपने अभिकथनों, तर्कों एवं जवाबी तर्कों के समर्थन में रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का भी अवलोकन किया।

13. आयोग के समक्ष अवधारित किए जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी ने निर्वाचन रैली में एक नया वादा करके कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों में **27** प्रतिशत के कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए **9** प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी, आदर्श आचार संहिता के उपबंधों का उल्लंघन किया है। किंतु दुर्भाग्यवश, अपने उपर्युक्त निवेदनों और अपने-अपने तर्कों एवं जवाबी तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेजों द्वारा, तथापि, दोनों पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने इस सामान्य मुद्दा को राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास किया और इसे अपनी विचारधाराओं एवं नीतियों के आधार पर विवादित राजनैतिक लड़ाई में परिवर्तित कर दिया। कहना न होगा, आयोग का कार्य राजनैतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर निर्णय करना नहीं है जबतक कि उनसे भारत के संविधान के ढांचे का उल्लंघन नहीं होता हो। इसलिए, आयोग की राय में, उनके अधिकतर तर्क एवं जवाबी तर्क आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर आयोग के समक्ष सामान्य मुद्दे के लिए अनुकूल नहीं है। मामले की इस दृष्टि से आयोग के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जिन पर दोनों पक्षकारों ने भरोसा जताया है, की बारीकी में जाना आवश्यक नहीं है।

14. इस प्रकार, सामान्य प्रश्न, जो आयोग के विचार के लिए वर्तमान मामले में पैदा हुआ है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी ने नया वादा करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उपर्युक्त निवेदनों के विचार एवं सुसंगत रिकॉर्डों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि उन्होंने निर्वाचन रैली में यह बयान दिया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **27** प्रतिशत कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी नौकरियों में **9** प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। उनका तर्क यह है कि उपर्युक्त बयान उसकी पार्टी के घोषणा पत्र में यथा उद्घोषित उसकी पार्टी की नीति की पुष्टि है। तथापि, वह आयोग को अपनी पार्टी का कोई ऐसा घोषणा-पत्र दिखाने में विफल रहे जहां पार्टी ने इस बारे में उस दिवस को उससे पूर्व कोई उद्घोषणा की हो कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपर्युक्त **27** प्रतिशत कोटे में से **9** प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में पार्टी द्वारा **30.01.2012** को जारी पार्टी के नवीनतम घोषण-पत्र में थी। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **27** प्रतिशत कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए किसी विशिष्ट उप कोटे का कोई उल्लेख नहीं है, न ही **30.01.20012** को अपने घोषणा-पत्र को जारी करने के साथ पार्टी द्वारा जारी विजन दस्तावेज में अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे किसी उप-कोटे का उल्लेख है। वर्ष **2009** में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, वर्ष **2007** में उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचनों या विगत वर्ष आयोजित बिहार, असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों या मणिपुर, पंजाब एवं उत्तराखंड की विधान सभाओं के लिए हाल के साधारण निर्वाचनों में पार्टी ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **27** प्रतिशत के समग्र कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशिष्ट उप-कोटा सृजित किए जाने या ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए किन्हीं विशिष्ट सीटों को आरक्षित किए जाने के बारे में बात नहीं की है, न ही कोई वादा किया है। अनुभव से यह भी पता चलता है कि राजनैतिक दल निर्वाचन-दर-निर्वाचन के अपने घोषणा-पत्रों में प्राय: अंतर लाते हैं या संशोधन करते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि एक घोषणा-पत्र में प्रोजेक्ट की गई कतिपय नीति का कार्यक्रम बाद के घोषणा-पत्रों में ही दोहराया जाए। उपर्युक्त के

मद्देनजर, आयोग प्रतिवादी द्वारा अपने आक्षेपित बयान को न्यायोचित ठहराने के लिए दिए जा रहे नीति की पुष्टि के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है। 'रिटरेट' शब्द का शब्दकोष में अर्थ 'किसी बात को बार-बार या कई बार कहना या दोहराना' है। जब विगत में कोई बात कही नहीं गई है और पहली बार कही जा रही है तो आयोग को आश्चर्य है कि यह कैसे कहा जा सकता है कि इसे 'दोहराया' जा रहा है।

15. आयोग ने भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी **22** दिसम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन को देखा है जिसके द्वारा सरकार ने **27** प्रतिशत कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए **4.5** प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार द्वारा यथा उद्घोषित **4.5** प्रतिशत सीटों के बजाय, 9 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का वादा करते हुए प्रतिवादी का बयान निर्वाचन अवधि, जब आदर्श आचार संहिता लागू है, के दौरान नि:संदेह एक नया वादा है।

16. आदर्श आचार संहिता का अंतर्निहित उद्देश्य एवं दृढ़ प्रयोजन निर्वाचन प्रक्रिया में सभी राजनैतिक दलों और अन्य हितधारियों को समान अवसर सुनिश्चित करना है, जो कि आदर्श आचार संहिता का मूल सिद्धांत है और कि सत्तासीन दल, चाहे केन्द्र में या राज्य में, किसी शिकायत के लिए कोई हेतुक प्रदान नहीं करता है कि इसने अपने निर्वाचन प्रचार अभियान के प्रयोग के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग नहीं किया है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ एवं अन्य **(1997** का सिविल रिट याचिका सं**. 270)** में **27** मई, 1997 के अपने निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि आदर्श आचार संहिता को राजनैतिक दलों द्वारा उनके सामूहिक विवेक से विकसित किया गया है और 'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित रूप से अंगीकार किया जा सकता है जो पवित्र भी होना चाहिए।' न्यायालय ने यह भी कहा है कि 'निर्वाचन के पूर्व, राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने पक्ष में मत लेने के लिए निर्वाचक मंडल को लुभावने पेशकश कर सकते हैं। यदि राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा इस मार्ग को अपनाए जाने की अनुमति दी जाती है तो यह निश्चित रूप से निर्वाचन की पवित्रता की अवहेलना होगी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका **(**सिविल**)**, 1997 का **22724 (**भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल एवं अन्य**)** में आदर्श आचार संहिता और निर्वाचनों की उद्घोषणा की तारीख से इसके लागू होने तथा उनमें निहित सिद्धांतों पर अपने अनुमोदन भी प्रदान किया। वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय भारत संघ की ही सहमति पर शीर्ष न्यायालय द्वारा दिया गया कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से लागू होनी चाहिए।

17. आदर्श आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मंत्री किसी रूप में किन्हीं वित्तीय अनुदानों, उनके वादों की उद्घोषणा नहीं करेंगे। आयोग की सुविचारित राय में, निर्वाचक मंडल के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए नौकरी का वादा, सरकारी नौकरियों और नौकरियों से जुड़ी पारिश्रमिक के रूप में उस वर्ग के सदस्यों के लिए विशेष वित्तीय अनुदान के समान होगा। इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता अन्य बातों के साथ-साथ जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपीलों को प्रतिषिद्ध करती है। यहां भी, आयोग की सुविचारित राय है कि अल्पसंख्यकों के लिए **9** प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का वादा सत्तासीन दल के लिए मतदान करने हेतु निर्वाचक मंडल के मन को प्रभावित करने की दृष्टि से उनके विशेष वर्गों के लिए अपील समान है। विभिन्न राष्ट्रीय दैनिकों एवं प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में **10** जनवरी, 2012 को छपी प्रेस रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का उपर्युक्त वादा करते समय प्रतिवादी ने विशेष रूप से यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे आरक्षण के लाभ मुस्लिमों को दिए जाएंगे। समाचार पत्रों अर्थात इकोनोमिक टाइम्स **(**नई दिल्ली**)**, टाइम्स ऑफ इंडिया **(**नई दिल्ली**)**, इंडियन एक्सप्रेस **(**नई दिल्ली**)** एवं नवभारत टाइम्स **(**नई दिल्ली**)**, से सुसंगत उद्धरणों की प्रतियां, जिनमें उपर्युक्त के बारे में रिपोर्टें अंतर्विष्ट थीं, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के अनुबंध के रूप में शामिल थीं, जो इसके अनुबंधों सहित आयोग के नोटिस के साथ **10** जनवरी, 2012 को प्रतिवादी को भेजा गया था। श्री रविशंकर प्रसाद ने **3** फरवरी, 2012 को सुनवाई में इंगित किया कि उसे भेजी गई उपर्युक्त रिपोर्टों के बारे में प्रतिवादी का कोई इंकार नहीं था। श्री रविशंकर प्रसाद के उपर्युक्त कथन के प्रत्युत्तर

में डॉ. सिंघवी का कहना था कि प्रतिवादी के लिए समाचार पत्र की रिपोर्टो, जो दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों में छपती है, के बारे में इंकार जारी किया जाना आवश्यक नहीं था। किंतु आयोग ने कहा है कि आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में 12 जनवरी, 2012 के अपने उत्तर में भी प्रतिवादी ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि अल्पसंख्यकों के लिए उप-कोटा के बारे में बोलते समय उनका संदर्भ मुस्लिमों से था, यद्यपि उन्होंने उस उत्तर में पुष्टि की कि ''मैंने ज्ञापन के साथ संलग्न भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और उनकी शिकायत के समर्थन में उनके द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न प्रकाशनों में लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है।'' उनका इंकार केवल एक साधारण बयान है कि उन्होंने धर्म, जाति या वर्ण के आधार पर मत प्राप्त करने के लिए कोई अपील नहीं की है और कि ऐसी घोषणाएं आम हैं और सभी राजनैतिक दलों द्वारा की जाती हैं।

18. डॉ. सिंघवी द्वारा प्रतिवादी की ओर से अगला तर्क यह है कि आक्षेपित बयान, यद्यपि इसमें कोई वादा अंतर्विष्ट था, प्रतिवादी द्वारा एक कांग्रेस सदस्य के हैसियत में दिया गया था और केन्द्रीय विधि एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में नहीं। सिंघवी का यह तर्क, यद्यपि बहुत अप्रासंगिक है, वास्तविक जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है। संबंधित प्राधिकारियों के शासकीय रिकॉर्डों से पता चलता है कि श्री आलोक सिंह, विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार ने 7 जनवरी, 2012 को सभी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों आदि को शासकीय सूचना भेजी थी कि श्री सलमान खुर्शीद, केन्द्रीय विधि एवं न्याय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री 8 एवं 9 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी, कयामगंज एवं फर्रूखाबाद का दौरा करेंगे तथा उनकी अगुवाई, एस्कॉर्ट दल, सुरक्षा आदि के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं ताकि मंत्री को कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त, श्री आफताब हुसैन, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति, फर्रूखाबाद ने भी तारीख 07.01.2012 को रिटर्निंग ऑफिसर, फर्रूखाबाद को लिखित में सूचित किया कि श्री सलमान खुर्शीद, विधि एवं न्याय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए 8 जनवरी, 2012 को फर्रूखाबाद का दौरा करेंगे। अपने तारीख 8 जनवरी, 2012 के आदेश में 194-फर्रूखाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप जिला अधिकारी, सदर-सह-रिटर्निंग ऑफिसर ने भी श्री आफताब हुसैन, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति, फर्रूखाबाद से प्राप्त सूचना के आधार पर, सभी पुलिस एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया कि श्री सलमान खुर्शीद, केन्द्रीय विधि एवं न्याय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे और उक्त निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अभ्यर्थी, उनकी पत्नी श्रीमती लूसी खुर्शीद के पक्ष में निर्वाचन प्रचार अभियान चलाने के लिए कई स्थलों पर जनसभाओं आदि को सम्बोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त, स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी बयान जारी किए, जो 8 जनवरी, 2012 को कई स्थानीय समाचार पत्रों में छपा था कि श्री सलमान खुर्शीद, केन्द्रीय विधि एवं न्याय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, परूखाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों का दो दिवसीय निर्वाचन दौरा करेंगे। इन शासकीय रिकॉर्डों के सामने, डॉ. सिंघवी द्वारा विधिमान्य रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रतिवादी ने 8 एवं 9 जनवरी, 2012 को फर्रूखाबद का दौरा किया था और एक कांग्रेस सदस्य/नेता के रूप में जन सभाओं को सम्बोधित किया था, न कि केन्द्रीय विधि एवं अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में। उपर्युक्त तर्क इस कारण से भी उपयुक्त नहीं है कि जन सामान्य की धारणा, जो सर्वोपरि है, में प्रतिवादी ने जनसभाओं को विधि एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में, न कि कांग्रेस पार्टी के केवल नेता के रूप में, सम्बोधित किया था।

19. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग स्पष्ट अकाट्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी, श्री सलमान खुर्शीद ने अल्पसंख्यकों के बीच निर्वाचक मंडल के विशिष्ट लक्षित समूह के लिए एक नया वादा किया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत समग्र कोटे में से उनके लिए 9 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। आयोग इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त वादा, श्री सलमान खुर्शीद द्वारा केन्द्रीय विधि एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में किया गया था। इस प्रकार, श्री सलमान खुर्शीद ने उपर्युक्त वादा करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसलिए, आयोग आदर्श आचार संहिता के उनके उल्लंघन पर अपना गहरा आक्रोश एवं निराशा व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता है। केन्द्रीय विधि एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में, उनकी यह सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन किया जाए ताकि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रीति में किया जाए और सभी राजनैतिक दलों को उनके निर्वाचन प्रचार अभियानों के मामले में समान अवसर की सुविधा मिले।

20. उपर्युक्त परिस्थितियों में, आयोग एतद्वारा श्री सलमान खुर्शीद पर रोक लगाता है और अपेक्षा एवं आशा करता है कि उनके द्वारा भविष्य में आदर्श आचार संहिता के ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

ह./- ह./- ह./-

(वी.एस. सम्पत) **(डॉ. एस.वाई. कुरैशी)** **(एच.एस. ब्रह्मा)**

निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली – **9** फरवरी, 2012

सं. **509**/एमसीसी/**2012**-आरसीसी